रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-एम.जेड.-अ.-31012024-251654
CG-MZ-E-31012024-251654

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 63] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 29, 2024/माघ 9, 1945
No. 63] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 29, 2024/MAGHA 9, 1945

रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेस आइज़ोल, मिज़ोरम

अधिसूचना

आइज़ोल, दिनांक 6 दिसम्बर, 2023

क्रमांक A.12018/1/2023-RIPANS(Vol-I)/141—संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जैसा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या यू.12026/26/2023-एनई दिनांक 03.10.2023 द्वारा अनुमोदित किया गया है, राष्ट्रपति एतद्वारा भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्थान, रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेज़, आइजोल में फिजियोथेरेपी और आहार विज्ञान एवं पोषण विभाग में सह आचार्य और सहायक आचार्य के पद की भर्ती की विधि में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्-

1. लघु शीर्षक एवं प्रवर्तन :-

1.1. इन विनियमों को ग्रुप 'ए' संकाय पद (सह आचार्य और सहायक आचार्य), रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेज, आइजोल, मिजोरम, 2023 के भर्ती नियम कहा जाएगा

1.2. यह विनियम राजपत्र में अधिसूचित किए जाने की तिथि से लागू होंगे।

2. पे-मैट्रिक्स में पदों की संख्या, वर्गीकरण और स्तर:-

पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे जुड़े पे-मैट्रिक्स में स्तर अनुसूची I में निहित संबंधित पदों में निर्दिष्ट होगा। ग्रुप 'ए' के रूप में पदों का वर्गीकरण केंद्र सरकार के वेतन स्तर में समान श्रेणियों के अनुरूप होगा।

3. भर्ती मानदंड:-

3.1 सभी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनुसूची I में निर्दिष्ट के अनुसार होगी। संबंधित पद के लिए आवश्यक आरआईपीएएनएस के संबंध में गैर संकाय के हित के संबंधित क्षेत्रों में शैक्षिक योग्यता के लिए निर्दिष्ट अनुशासन, पदों के विज्ञापित होने से पहले अनुसूची I में दिया जाएगा। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय और नियामक निकायों की शैक्षिक योग्यता, यथास्थिति, केवल स्वीकार किया जाएगा। शैक्षिक योग्यता के संबंध में किसी भी संदेह की स्थिति में, नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

3.2 सभी पदों के लिए आवश्यक अनुभव अनुसूची I में निर्दिष्ट अनुसार होगा। पद के लिए अपेक्षित अनुभव निर्धारित करने की निर्णायक तिथि अभ्यर्थी से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।

3.3 भर्ती अनुसूची I में निर्धारित अनुसार की जाएगी। जब भी पद सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना हो, तो पदों का विज्ञापन आरआईपीएएनएस की वेबसाइट और समाचार पत्रों में ऐसे उचित तरीकों से किया जाएगा जो संस्थान प्राधिकरण उचित समझे। बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में, निदेशक एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर सकते हैं, जो अभ्यर्थियों का चयन करेगी।

3.4 सीधी भर्ती के मामले में, पद के लिए नौकरी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए चयन समिति द्वारा तय किए गए विभिन्न मापदंडों के लिए विशिष्ट अंक देकर चयन पारदर्शी होगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति सभी पात्र अभ्यर्थियों के साक्षात्कार, जैसा आवश्यक हो, आयोजित करेगी।

3.5 पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए दूर रहने के कारण होने वाली रिक्तियों को प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक अनुबंध पर भरा जा सकता है।

4. सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा :

4.1 प्रत्येक श्रेणी के पद में सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा अनुसूची I में निर्दिष्ट के अनुसार होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों आदि के संबंध में अधिकतम आयु सीमा में केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार छूट दी जाएगी।

जब तक भर्ती नियमों में अन्यथा निर्दिष्ट न हो, केंद्र/राज्य सरकार और केंद्र और राज्य सरकारों के स्वायत्त संस्थानों में सेवारत कर्मियों के लिए आयु में 5 वर्ष की छूट की अनुमति होगी।

4.2 आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।

5. भर्ती की विधि :

5.1 गैर चयन पदों पर प्रोन्नति पर भर्ती के मामले में, चयन अयोग्यता की अस्वीकृति के अधीन वरिष्ठता के आधार पर किया जाएगा। अभ्यर्थी का मूल्यांकन योग्यता के आधार पर वरिष्ठता पर विधिवत गठित जांच समिति द्वारा किया जाएगा। पात्रता की जांच के लिए पिछले पांच वर्षों के एसीआर/एपीएआर पर विचार किया जाएगा। उपयुक्त पाये जाने पर चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति में रखने से पहले पैनल की सूची वरिष्ठता तथा एसीआर/एपीएआर के आधार पर तैयार की जायेगी।

5.2 सीधी भर्ती के मामले में, चयनित अभ्यर्थी, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से, प्रारंभ में अनुसूची I में निर्दिष्ट न्यूनतम अवधि के लिए परिवीक्षा पर होंगे। परिवीक्षा अवधि के अंत में, अभ्यर्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन संस्थान प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा ताकि यह तय किया जा सके कि परिवीक्षा अवधि के दौरान अभ्यर्थी का प्रदर्शन संतोषजनक रहा है या अन्यथा। यदि उसका कार्य संतोषजनक पाया जाता है तो परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने पर उसकी नियमित नियुक्ति की पुष्टि की जायेगी।

5.3 अनुसूची I में निर्दिष्ट न्यूनतम योग्यता और अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी के अधीन, अन्य केंद्र सरकार/राज्य सरकार के अभ्यर्थियों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर लिया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी जिसे निदेशक द्वारा ऋण देने वाले विभाग की सहमति से सेवा की अत्यावश्यकता में पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

6. अयोग्यता :

कोई भी व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है जिसका पति या पत्नी जीवित है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है या अनुबंध किया है, उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति के लिए अपात्र होगा;

बशर्ते कि आरआईपीएएनएस, यदि संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत इस तरह के विवाह की अनुमति है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो किसी भी व्यक्ति को इस नियम के संचालन से छूट दी जा सकती है।

7. **व्याख्या :**

जहां इन नियमों के किसी भी प्रावधान की व्याख्या के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न होता है, मामला नियुक्ति प्राधिकारी को भेजा जाएगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।

8. **छूट देने की शक्ति** :

इन नियमों में कुछ भी आरक्षण, आयु सीमा में छूट और इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रदान की जाने वाली अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगा। पहले भरे गए पद इन भर्ती नियमों से प्रभावित नहीं होंगे, जिन्हें अभी अधिसूचित किया जा रहा है। विभिन्न पदों से संबंधित नौकरी का विवरण आरआईपीएएनएस द्वारा कार्यालय आदेश के रूप में अलग से जारी किया जाएगा।

9. **बचत** :

इन नियमों में कुछ भी आरक्षण, आयु सीमा में छूट और इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रदान की जाने वाली अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगा। पहले भरे गए पद इन भर्ती नियमों से प्रभावित नहीं होंगे, जिन्हें अभी अधिसूचित किया जा रहा है। विभिन्न पदों से संबंधित नौकरी का विवरण आरआईपीएएनएस द्वारा कार्यालय आदेश के रूप में अलग से जारी किया जाएगा।

रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेस, आइज़ोल में

सह आचार्य (भौतिक चिकित्सा) के भर्ती नियम

1.	पद का नाम	सह आचार्य (भौतिक चिकित्सा)
2.	पदों की संख्या	01* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन
3.	वर्गीकरण	ग्रुप 'ए'
4.	वेतनमान	पे-मेट्रिक्स में स्तर 12
5.	चयन पद है या गैर चयन पद।	पदोन्नति के मामले में गैर चयन
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा।	केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार 50 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट
7.	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता और अन्य योग्यताएं।	**आवश्यक:** 1. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सहायक आचार्य के रूप में 8 साल के अनुभव के साथ फिजियोथेरेपी में मास्टर डिग्री (एम.पी.टी./एम.पी.टी.एच./एम.टी.एच.पी./एम.एससी.पी.टी.) 2. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में डॉक्टरेट की डिग्री।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी।	आयु - नहीं शैक्षणिक योग्यता - हाँ अनुभव के साथ जैसा कि ऊपर कॉलम 7 में बताया गया है
9.	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	सीधी भर्ती के लिए 1 (एक) वर्ष पदोन्नति के मामले में लागू नहीं है

10.	भर्ती की पद्धति, चाहे सीधी भर्ती द्वारा, या प्रतिनियुक्ति पर पदोन्नति/ स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	पदोन्नति द्वारा, असफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों में असफल होने पर सीधी भर्ती द्वारा
11.	पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में जिस ग्रेड से पदोन्नति स्थानांतरण किया जाना है।	**पदोन्नति** कॉलम 7 में उल्लिखित सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अपेक्षित योग्यता वाले संबंधित विशेषज्ञता/विषय में वेतन स्तर 10 में सहायक प्रोफेसर के रूप में 10 (दस) वर्ष की नियमित सेवा। **प्रतिनियुक्ति** केंद्र सरकार/राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश/स्वायत्त संगठन/सांविधिक निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/विश्वविद्यालय/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी। **अ.** 1. मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करना; या 2. मूल कैडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल -11 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में 5 साल की सेवा के साथ; या 3. मूल कैडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल -11 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में 5 साल की सेवा के साथ; या **आ.** कॉलम 7 में उल्लिखित सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उचित योग्यता और अनुभव होना। **टिप्पणी:** केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि आमतौर पर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
12.	यदि डीपीसी मौजूद है, तो इसकी संरचना क्या है।	1. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक – अध्यक्ष 2. सचिव (एचएफडब्ल्यू) का नामिती जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे का न हो - सदस्य 3. मिजोरम विश्वविद्यालय का प्रतिनिधि जो प्रोफेसर के पद से नीचे का न हो - सदस्य 4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सहयोजित सदस्य जो प्रोफेसर के पद से नीचे का न हो – सदस्य* 5. संबंधित विषय के दो विशेषज्ञ* - सदस्य 6. निदेशक, आरआईपीएएनएस- सदस्य सचिव (*निदेशक, रिपन्स द्वारा नामित किया जाना है)
13.	जिन परिस्थितियों में भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) से परामर्श किया जाना है।	लागू नहीं

रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेस, आइज़ोल में

सह आचार्य (आहार विज्ञान और पोषण) के भर्ती नियम

1.	पद का नाम	सह आचार्य (आहार विज्ञान और पोषण)
2.	पदों की संख्या	01* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन
3.	वर्गीकरण	ग्रुप 'ए'
4.	वेतनमान	पे-मेट्रिक्स में स्तर 12
5.	चयन पद है या गैर चयन पद।	पदोन्नति के मामले में चयन
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा।	केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार 50 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट
7.	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता और अन्य योग्यताएं।	**आवश्यक:** 1. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सहायक प्रोफेसर के रूप में 8 साल के अनुभव के साथ एमएससी (खाद्य और पोषण) में मास्टर डिग्री या डायटेटिक्स में एमएससी या क्लिनिकल न्यूट्रिशन में एमएससी। 2. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में डॉक्टरेट की डिग्री।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी।	आयु - नहीं शैक्षणिक योग्यता - हाँ अनुभव के साथ जैसा कि ऊपर कॉलम 7 में बताया गया है
9.	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	सीधी भर्ती के लिए 1 (एक) वर्ष पदोन्नति के मामले में लागू नहीं है
10.	भर्ती की पद्धति, चाहे सीधी भर्ती द्वारा, या प्रतिनियुक्ति पर पदोन्नति/ स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	समग्र पद्धति से अर्थात प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)/पदोन्नति, अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा
11.	पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में जिस ग्रेड से पदोन्नति स्थानांतरण किया जाना है।	**प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध (एलएसटीसी)/पदोन्नति सहित:** केंद्र सरकार/राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश/स्वायत्त संगठन/वैधानिक निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/विश्वविद्यालय/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी: **अ.** 1. मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करना; या 2. मूल कैडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-11 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में 5 साल की सेवा के साथ; या 3. मूल कैडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल -10 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में 10 साल की सेवा के साथ; या **आ.**

		कॉलम 7 में उल्लिखित सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उचित योग्यता और अनुभव होना। **टिप्पणी:** केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि आमतौर पर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। यदि विभागीय उम्मीदवार [सहायक प्रोफेसर (आहार विज्ञान और पोषण)] वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 10 में 10 साल की नियमित सेवा के साथ पद पर नियुक्ति के लिए चुना जाता है; इसे पदोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा।
12.	यदि डीपीसी मौजूद है, तो इसकी संरचना क्या है।	1. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक - अध्यक्ष 2. सचिव (एचएफडब्ल्यू) का नामिती जो संयुक्त सचिव के पद से निम्न का न हो - सदस्य 3. मिजोरम विश्वविद्यालय का प्रतिनिधि जो प्रोफेसर के पद से निम्न का न हो - सदस्य 4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सहयोजित सदस्य जो प्रोफेसर के पद से निम्न का न हो – सदस्य* 5. संबंधित विषय के दो विशेषज्ञ* - सदस्य 6. निदेशक, रिपन्स - सदस्य सचिव (*निदेशक, रिपन्स द्वारा नामित किया जाना है)
13.	जिन परिस्थितियों में भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) से परामर्श किया जाना है।	लागू नहीं

रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइन्सेस, आइज़ोल में

सहायक आचार्य (भौतिक चिकित्सा) के भर्ती नियम

1.	पद का नाम	सहायक आचार्य (भौतिक चिकित्सा)
2.	पदों की संख्या	06* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन
3.	वर्गीकरण	ग्रुप 'ए'
4.	वेतनमान	पे-मेट्रिक्स में स्तर 10
5.	चयन पद है या गैर चयन पद।	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा।	केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार 35 वर्ष की ऊपरी आयु में 5 वर्ष तक की छूट।

7.	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता और अन्य योग्यताएं।	**आवश्यक:** मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फिजियोथेरेपी में मास्टर डिग्री (एम.पी.टी./ एम.पी.टीएच/ एम.टी.एच.पी./ एम.एससी.पी.टी.) कम से कम 55% अंकों के साथ (या जहां भी ग्रेडिंग सिस्टम का पालन किया जाता है वहां पॉइंट स्केल में समकक्ष ग्रेड)। **वांछनीय:** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में पीएचडी।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी।	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	सीधी भर्ती के लिए 1 (एक) वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति, चाहे सीधी भर्ती द्वारा, या प्रतिनियुक्ति पर पदोन्नति/ स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीधी भर्ती द्वारा
11.	पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में जिस ग्रेड से पदोन्नति स्थानांतरण किया जाना है।	लागू नहीं
12.	यदि डीपीसी मौजूद है, तो इसकी संरचना क्या है।	1. संयुक्त सचिव (एनई) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार या उनका प्रतिनिधि जो निदेशक के पद से निम्न का नहीं है – अध्यक्ष 2. उप सचिव (एनई) भारत सरकार के, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य 3. उप सचिव, डी.पी & ए.आर, मिज़ोरम सरकार - सदस्य 4. संबंधित विषय में एक विशेषज्ञ - सदस्य* 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सहयोजित सदस्य – सदस्य* 6. निदेशक, रिपन्स - सदस्य सचिव (*निदेशक, रिपन्स द्वारा नामित किया जाना है)
13.	जिन परिस्थितियों में भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) से परामर्श किया जाना है।	लागू नहीं

रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइन्सेस, आइज़ोल में

सहायक आचार्य (आहार विज्ञान और पोषण) के भर्ती नियम

1.	पद का नाम	सहायक आचार्य (आहार विज्ञान और पोषण)
2.	पदों की संख्या	01* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन
3.	वर्गीकरण	ग्रुप 'ए'
4.	वेतनमान	7वें सीपीसी के अनुसार पे-मेट्रिक्स में स्तर 10

5.	चयन पद है या गैर चयन पद।	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार 35 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट।
7.	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता और अन्य योग्यताएं।	**आवश्यक:** एमएससी (खाद्य एवं पोषण) या एम.एससी. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डायटेटिक्स में या कम से कम 55% अंकों के साथ एमएससी क्लिनिकल न्यूट्रिशन (या जहां भी ग्रेडिंग सिस्टम का पालन किया जाता है, वहां पॉइंट स्केल में समकक्ष ग्रेड) होना चाहिए। **वांछनीय:** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में पीएचडी।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी।	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	सीधी भर्ती के लिए 1 (एक) वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति, चाहे सीधी भर्ती द्वारा, या प्रतिनियुक्ति पर पदोन्नति/ स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीधी भर्ती द्वारा
11.	पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में जिस ग्रेड से पदोन्नति स्थानांतरण किया जाना है।	लागू नहीं
12.	यदि डीपीसी मौजूद है, तो इसकी संरचना क्या है।	1. संयुक्त सचिव (एनई) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार या उनका प्रतिनिधि जो निदेशक के पद से निम्न का नहीं है – अध्यक्ष 2. उप सचिव (एनई) भारत सरकार के, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य 3. उप सचिव, डी.पी & ए.आर, मिज़ोरम सरकार - सदस्य 4. संबंधित विषय में एक विशेषज्ञ - सदस्य* 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सहयोजित सदस्य – सदस्य* 6. निदेशक, रिपन्स - सदस्य सचिव (*निदेशक, रिपन्स द्वारा नामित किया जाना है)
13.	जिन परिस्थितियों में भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।	लागू नहीं

डॉ संजय दिनकर सांवत, निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./713/2023-24]

REGIONAL INSTITUTE OF PARAMEDICAL AND NURSING SCIENCES AIZAWL, MIZORAM

NOTIFICATION

Aizawl, the 6th December, 2023

No. A.12018/1/2023-RIPANS(Vol-I)/141.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and as approved by the Ministry of Health & Family Welfare, Government of India vide Letter No.U.12026/26/2023-NE dated 03.10.2023, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment of the post of Associate Professor, Assistant Professor in the Department of Physiotherapy and Dietetics & Nutrition in Regional Institute of Paramedical & Nursing Sciences, Aizawl, an Autonomous Institute under the Ministry of Health & Family Welfare, Government of India, namely:-

1. Short Title and commencement: -

1.1. These rules may be called the Recruitment Rules of Group A Faculty Posts (Associate Professor and Assistant Professor), Regional Institute of Paramedical & Nursing Sciences, Aizawl, Mizoram, 2023.

1.2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. The number of posts, classification and level in the Pay Matrix: -

The number of posts, its classification and the level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in respective posts as contained in Schedule I. The classification of posts as Group A will correspond to similar categories in the Pay Level of Central Government.

3. Recruitment Norms: -

3.1 The minimum educational qualification for all the posts shall be as specified in Schedule I. The specified discipline for educational qualification in related areas of interest of the faculty in respect of RIPANS, required for the post concerned, will be as given in Schedule I, before the posts are advertised. Educational qualifications of recognized University and regulating Statutory Bodies, as the case may be, will only be accepted. In case of any doubt regarding educational qualification, the decision of Appointing Authority will be final and binding.

3.2 The experience required for all the posts shall as specified in Schedule I. The crucial date for determining the experience required for the post shall be the closing date for receipt of application from candidates.

3.3 Recruitment shall be made by promotion/deputation/direct recruitment as the case may be, as prescribed in Schedule I. Whenever the posts are to be filled up by deputation/direct recruitment, the posts shall be advertised in the website of RIPANS and newspapers by such appropriate methods as the Institute authority deems fit. In case of receipt of large number of applications, the Director may constitute a Screening Committee, which will short-list the candidates.

3.4 In case of direct recruitment, the selection shall be transparent by giving specific marks for various parameters decided by the Selection Committee, keeping in view the job requirement for the post. The Selection Committee as constituted by competent authority will hold interviews of the all-eligible candidates, as may be required.

3.5 Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances, for duration of one year or more, can be filled on deputation/short term contract.

4. Age limit for direct recruitments: -

4.1 The upper age limit for direct recruitment in each category of post shall be as specified in Schedule I. The upper age limit in respect of Schedule Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and the other

special categories of persons etc, shall be relaxable in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

Unless otherwise specified in the Recruitment Rules, age relaxation of 5 years will be allowed for personnel serving in Central/State Government and Autonomous Institutions of Central & State Governments.

4.2 The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates.

5. Method of Recruitment:

5.1 The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be specified in column 5 to 13 of the said Schedule.

5.2 In case of direct recruitment, the selected candidates, from the date of assuming the duties will be on probation initially for a minimum period as specified in Schedule I. At the end of probation period, the candidate's performance will be assessed by the Institute authority to decide if the candidate's performance during the probation period has been satisfactory or otherwise. If his/her performance is found to be satisfactory, he/she will be confirmed for regular appointment on completion of probation.

5.3 Subject to the candidate having minimum qualification and experience as specified in Schedule I, candidates from other Central Government/State Government can be taken on deputation basis. The period of deputation shall be for a period of three years which may be extended by the Director up to five years in the exigencies of service taking the consent of the lending department.

6. Disqualification: -

No person:

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) Who having a spouse living, has entered in or contracted a marriage with any other person, shall be eligible for appointment to any of the said posts;

Provided that RIPANS may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. Interpretation: -

Where any doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of these rules, the matter shall be referred to Appointing Authority whose decision shall be final.

8. Power to relax: -

Where the duly constituted Selection Committee of RIPANS is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of posts mentioned in Schedule I. This will be subject to acceptance of the Appointing Authority.

9. Saving: -

Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided to candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard. The posts filled earlier will not be affected by these Recruitment Rules, which are being notified now. The job descriptions pertaining to various posts would be issued separately by RIPANS as an Office Order.

Recruitment Rules of Associate Professor (Physiotherapy) in RIPANS, Aizawl

1.	Name of Post.	Associate Professor (Physiotherapy)
2.	No. of Posts.	01*(2023) *Subject to variation dependent on workload.
3.	Classification.	Group 'A'
4.	Scale of Pay.	Level 12 in the Pay Matrix
5.	Whether Selection post or non-selection post.	Selection in case of promotion
6.	Age limit for direct recruits.	50 years upper age limit relaxable by up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.
7.	Educational qualification and other qualifications required for direct recruitment.	**Essential:** 1. Master's Degree in Physiotherapy (M.P.T./M.P.Th/M.Th.P/M.Sc.P.T.) with 8 years' experience as Assistant Professor from a recognized institution. 2. A doctoral degree in the concerned subject from a recognized University.
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion.	Age - No Educational Qualification - Yes with experience as mentioned in Col 7 above
9.	Period of probation if any.	1 (one) year for direct recruit. Not applicable in case of promotion.
10.	Method of Recruitment, whether by direct recruit, or by promotion/ transfer on deputation and percentage of vacancies to be filled by various methods.	By promotion, failing which by deputation, failing both by direct recruitment.
11.	In case of Recruitment by promotion/ transfer/ deputation grade from which promotion transfer to be made.	**Promotion:** 10 (ten) years regular service as Assistant Professor in Pay Level 10 in the concerned specialty/subject having the requisite qualifications prescribed for direct recruits mentioned at Column 7 **Deputation:** Officers of the Central Government/State Governments/Union territories/autonomous Organizations/Statutory bodies/Public Sector Undertaking/University/Recognized Research Institution. **A.** 1. Holding analogous post on a regular basis in the parent cadre/department; or 2. with 5 years' service in the grade rendered after appointment on a regular basis in Level -11 of the Pay matrix or equivalent in the parent cadre/department; or 3. with 10 years' service in the grade rendered after appointment on a regular basis in Level -10 of the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre/department; or

		B. Possessing appropriate qualifications and experience prescribed for direct recruits mentioned at column 7. Note: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. The maximum age limit for appointment on deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on closing date of receipt of application.
12.	If DPC exist, what is its composition?	1. Director General of Health Services - Chairman 2. Nominee of Secretary (HFW) not below the rank of Jt. Secretary - Member 3. Representative of Mizoram University not below the rank of Professor - Member 4. One co-opted member representing SC/ST not below the rank of Professor* - Member 5. Two experts in the subject concerned* - Member 6. Director, RIPANS - Member Secretary (*To be nominated by Director, RIPANS)
13.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.	Not applicable

Recruitment Rule for the post of Associate Professor (Dietetics and Nutrition) in RIPANS, Aizawl.

1.	Name of the post	Associate Professor (Dietetics and Nutrition)
2.	Number of posts	01*(2023) * Subject to variation dependent on workload.
3.	Classification	Group 'A'
4.	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Level 12 in the Pay Matrix
5.	Whether selection or non-Selection post	Selection in case of promotion
6.	Age limit for direct recruits.	50 years upper age limit relaxable by up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	**Essential**: (i) Master's Degree in M.Sc (Food and Nutrition) OR M.Sc in Dietetics OR M.Sc Clinical Nutrition with 8 years' experience as Assistant Professor from a recognized institution. (ii) A doctoral degree in the concerned subject from a recognized University.
8.	Whether age and educational	Age - No

	qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Educational Qualification - Yes with experience as mentioned in Col 7 above
9.	Period of probation, if any.	1 (one) year for direct recruit. Not applicable in case of promotion
10.	Method of recruitment: whether direct recruitment or by promotion or by absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	By composite Method i.e. Deputation (including short term contract)/promotion failing which by Direct Recruitment
11.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	**<u>Deputation (lncluding Short Term Contract (lSTC)/Promotion</u>**: Officers of the Central Government/ State Governments/ Union Territories/ Autonomous Organizations/ Statutory bodies/ Public Sector Undertaking/ University/ Recognized Research Institution: **A.** 1. Holding analogous post on a regular basis in the parent cadre/department; or 2. with 5 years' service in the grade rendered after appointment on a regular basis in Level-11 of the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre/department; or 3. with 10 years' service in the grade rendered after appointment on a regular basis in Level -10 of the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre/department; or **B.** Possessing appropriate qualifications and experience prescribed for direct recruits mentioned at column 7. **Note:** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. The maximum age limit for appointment on deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application. If the Departmental Candidate [Assistant Professor (Dietetics and Nutrition)] in Level – 10 of Pay Matrix with 10 years' of regular service is selected for appointment to the post; it shall be treated as having been filled by promotion.
12.	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	1. Director General of Health Services - Chairman 2. Nominee of Secretary (HFW) - Member not below the rank of Jt. Secretary 3. Representative of Mizoram University - Member not below the rank of Professor 4. One co-opted member representing - Member SC/ST not below the rank of Professor* 5. Two experts in the subject concerned * - Member 6. Director, RIPANS - Member Secretary (*To be nominated by Director, RIPANS)
13.	Circumstances in which Union	Not applicable.

	Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	

Recruitment Rules of Assistant Professor (Physiotherapy) in RIPANS, Aizawl.

1.	Name of Post	Assistant Professor (Physiotherapy)
2.	No. of Posts.	06*(2023) *Subject to variation dependent on workload
3.	Classification.	Group 'A'
4.	Scale of Pay.	Level 10 in the Pay Matrix as per 7th CPC
5.	Whether Selection post or non-selection post.	Not applicable
6.	Age limit for direct recruits.	35 years upper age relaxable by up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.
7.	Educational qualification and other qualifications required for direct recruitment.	**Essential:** Master's Degree in Physiotherapy (M.P.T/M.P. Th/M.Th.P/M.Sc.P.T.) with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) from recognized University. **Desirable :** Ph.D in the concerned subject from a recognized University.
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion.	Not applicable
9.	Period of probation if any.	1 (one) year for direct recruit.
10.	Method of Recruitment, whether by direct recruit, or by promotion/ transfer on deputation and percentage of vacancies to be filled by various methods.	By Direct recruitment
11.	In case of Recruitment by promotion/ transfer/ deputation grade from which promotion transfer to be made.	Not applicable
12.	If DPC exist, what is its composition.	1. Jt. Secretary (NE) Min. of H& FW, GoI or his representative not below the rank of Director - Chairman 2. Dy. Secretary, (NE) to GoI, MoH & FW - Member 3. Dy. Secretary, DP &AR, - Member Govt. of Mizoram 4. One expert in the subject concerned - Member*

		5. One co-opted member representing SC/ST - Member * 6. Director, RIPANS - Member Secretary (*To be nominated by Director, RIPANS)
13.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.	Not Applicable

Recruitment Rule for the post of Assistant Professor (Dietetics and Nutrition) in RIPANS, Aizawl.

1.	Name of the post	Assistant Professor (Dietetics and Nutrition)
2.	Number of posts	01*(2023) * Subject to variation dependent on workload.
3.	Classification	Group 'A'
4.	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Level 10 in the Pay Matrix
5.	Whether selection or non-Selection post	Not applicable.
6.	Age limit for direct recruits.	35 years upper age relaxable by up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	**<u>Essential</u>**: M.Sc. (Food and Nutrition) OR M.Sc. in Dietetics OR M.Sc Clinical Nutrition with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) from recognized University. **Desirable :** Ph.D in the concerned subject from a recognized University.
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Not applicable.
9.	Period of probation, if any.	1 (one) year for direct recruit.
10.	Method of recruitment: whether direct recruitment or by promotion or by absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	By Direct recruitment
11.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	Not applicable
12.	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	1. Jt. Secy (NE), Min of H&FW GoI or his representative not below the rank of Director - Chairman 2. Deputy Secy (NE), to GoI, Min. of H&FW - Member

		3. Dy. Secretary, DP &AR, Govt. of Mizoram. - Member 4. One co-opted expert in the subject concerned - Member* 5. One co-opted member representing SC/ST - Member* 6. Director, RIPANS. - Member Secy. (*To be nominated by Director, RIPANS)
13.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	Not applicable.

Dr. SANJAY DINKAR SAWANT, Director

[ADVT.-III/4/Exty./713/2023-24]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2024.01.31 18:10:31 +05'30'